भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1818

शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

फुटवियर और चमड़े के क्षेत्र में चुनौतियां

1818. श्री सैयद नासिर हुसैनः
डॉ. अमी याज्ञिकः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2022 के कारण फुटवियर और चमड़े के क्षेत्र में आई गंभीर चुनौतियों से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में देश के निर्यात में फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के योगदान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से अब तक फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र को लाभ हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में स्वदेशी फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): सस्ते आयात को रोकने और फुटवियर की कुछ श्रेणियों के लिए मानक चिह्नों के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए, केंद्र सरकार (डीपीआईआईटी) ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और उद्योग संघों सहित अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए हैं:

(i) चमड़े और अन्य सामग्री से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, दिनांक 01.07.2023 से लागू - 11 मदें।
(ii) सभी रबड़ और सभी पॉलीमेरिक सामग्री तथा इसके घटकों से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, दिनांक 01.07.2023 से लागू - 13 मदें।
(iii) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, दिनांक 01.01.2022 से लागू - 3 मदें।

केंद्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईसी) और उद्योग के हितधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करती है ताकि उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें तथा क्यूसीओ का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

विनिर्माताओं को, कभी-कभार किए जाने वाले अधिकांश परीक्षणों की आउटसोर्सिंग की अनुमति देकर परीक्षण केंद्र के निर्माण से छूट दी गई है। बहुत कम परीक्षण विनिर्माण इकाई में किए जाने आवश्यक हैं जिनके लिए विनिर्माता को परीक्षण केंद्र का निर्माण करना आवश्यक है। परीक्षण केंद्रों और क्लस्टर आधारित परीक्षण केंद्रों को साझा करने का प्रावधान भी मौजूद है।

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) और बीआईएस, अपने शाखा कार्यालयों के जरिए उद्योग बैठकों और विभिन्न उद्योग संघों द्वारा आयोजित सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भागीदारी करके पूरे भारत में फुटवियर विनिर्माताओं के बीच जागरूकता भी पैदा कर रहा है। इसके अलावा, पब्लिक कॉल सुविधा के जरिए, फुटवियर विनिर्माताओं की शंकाओं और प्रश्नों का दैनिक आधार पर समाधान किया जा रहा है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

भारतीय फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र का निर्यात (मिलियन अमरीकी डॉलर)

उत्पाद	2021-21	2021-22	2022-23
तैयार चमड़ा	378.23	456.10	430.93
चमड़ा फुटवियर	1485.64	2047.08	2377.23
फुटवियर घटक	197.59	249.87	289.81
चमड़े के परिधान	295.59	342.38	353.07
चमड़े की वस्तुएं	944.27	1287.06	1301.34
जीनसाज़ी	186.18	276.10	222.17
कुल	**3487.5**	**4658.59**	**4974.55**

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)

(ग): एफटीए इस क्षेत्र को बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करने में सक्षम रहे हैं तथा जिन देशों/क्षेत्रों के साथ भारत ने एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, उनके साथ निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

देश	2020-21	2021-22	2022-23	व्यापार समझौता
यूएई	80.05	105.48	123.87	भारत –यूएई सीईपीए
ऑस्ट्रेलिया	74.95	91.23	94.01	भारत –ऑस्ट्रलिया ईसीटीए
जापान	45.69	64.60	77.88	भारत –जापान सीईपीए
आसियान	143.01	161.27	175.01	भारत –आसियान एफटीए
कोरिया गणराज्य	35.91	40.37	46.74	भारत –कोरिया सीईपीए

(घ): **19** जनवरी, **2022** को, सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, नामत: 'भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी)' को दिनांक **31.03.2023** तक अथवा अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने का अनुमोदन दिया है। आईएफएलडीपी में **06** उप-स्कीमें शामिल हैं तथा इन स्कीमों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र, विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत निर्यात संवर्धन स्कीमों के लाभ प्राप्त करने तथा बाजार पहुंच पहल स्कीम (एमएआईएस), निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) तथा ब्याज समकरण स्कीम आदि के अंतर्गत उपलब्ध अन्य लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 04.06.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1818 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी)

i. **सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय संवर्धन**- पूर्वोत्तर क्षेत्रों को प्रत्येक सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) के लिए कुल परियोजना लागत के 80% की दर से सहायता प्रदान की जाती है जिसमें उद्योग/लाभार्थी का हिस्सा परियोजना लागत का 20% है और अन्य क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का 70% है, इसमें उद्योग/लाभार्थी का हिस्सा 200 करोड़ रुपये की सीमा के साथ परियोजना लागत का 30% होगा।

ii. **चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस)** - क्षेत्रीय इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण/क्षमता विस्तार/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को 30% और अन्य इकाइयों को 20% की दर से सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एमएसएमई इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की लागत के 40% और अन्य इकाइयों को 30% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। घरेलू विनिर्मित मशीनरी के लिए 5% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

iii. **संस्थागत सुविधाओं की स्थापना** - फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) के मौजूदा परिसरों में नई अवसंरचना की स्थापना और अपेक्षित अवसंरचना के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एफडीडीआई के मौजूदा परिसरों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र, खेल परिसर की स्थापना, बालिका छात्रावास आदि का निर्माण शामिल है।

iv. **मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट (एमएलएफएसीडी)** : - इस उप-स्कीम का उद्देश्य विश्व स्तरीय अवसंरचना और उत्पादन श्रृंखला को इस तरह से एकीकृत करना है कि यह चमड़ा और घरेलू फुटवियर उद्योग और निर्यात बाजार की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। भूमि विकास, मूल अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना, प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ तैयार शेड सहित उत्पादन सुविधाओं, अनुसंधान एवं विकास सहायता और निर्यात सेवाओं के लिए परियोजना लागत के 50% (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परियोजना लागत के 70% की दर से) की दर से श्रेणीबद्ध सहायता प्रदान की जाती है जिसमें भूमि लागत को छोड़कर अधिकतम सरकारी सहायता 125 करोड़ रुपए तक सीमित है।

v. **चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में भारतीय ब्रांडों का ब्रांड संवर्धन** - अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम से कम 10 भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ब्रांड के लिए 3 करोड़ रुपये की सीमा के अध्यधीन कुल परियोजना लागत के 50% की दर से भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाती है। तैयार चमड़ा, चमड़े से संबंधित सामान, चमड़ा वस्त्र, सैडलरी, फुटवियर और फुटवियर घटक उद्योगों सहित फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के सभी भारतीय विनिर्माता, जो पिछले 3 वर्षों से नकद लाभ ले रहे है और जिनका न्यूनतम निर्यात/घरेलू बिक्री 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, इस उप-योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

vi. **डिजाइन स्टूडियो का विकास**: - यह एक नई उप-योजना है जो इस क्षेत्र के तकनीकी और डिजाइन परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। 10 भारतीय डिजाइन स्टूडियो विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्टूडियो में डिजाइन नवप्रयोग, बाजार और निर्यात लिंकेज को बढ़ावा देना, खरीदार-विक्रेता बैठकों की सुविधा, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को डिजाइन प्रदर्शित करना और व्यापार मेलों के लिए इंटरफ़ेस के रूप में काम करना शामिल है। डिजाइन स्टूडियो को 'वन-स्टॉप-शॉप' की तर्ज बनाया गया है जो डिजाइन, तकनीकी

सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण आदि सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है ।

इन उप-स्कीमों के दिशानिर्देश डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका लिंक **https://dpiit.gov.in/indian-footwear-leather-and-accessories-development-program** है। सभी उप-योजनाओं को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पर शामिल कर दिया गया है। पात्र उद्यमी एनएसडब्ल्यूएस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे https://www.nsws.gov.in/ -> "All schemes" -> Select "Indian Footwear and Leather Development Programme" -> Select the applicable sub-scheme" के जरिए देखा जा सकता है।

आईएफएलडीपी का मुख्य उद्देश्य, निर्यात और घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता विस्तार के माध्यम से उद्योग में अतिरिक्त निवेश की सुविधा प्रदान करना, नई इकाइयां स्थापित करना, चमड़ा क्षेत्र की विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना, भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना, देश में डिजाइन स्टूडियो की स्थापना करना आदि है।

*****